न्यायालय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3094/विधि

सहरसा, दिनांक 19-10-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-27/2023 में दिनांक-17.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनके पत्रांक 696/आ0 दिनांक 12.09.2023 से प्राप्त मूल आवेदन एवं अन्य कागजात प्रमाण-पत्र कुल-555 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- **यथोक्त।**

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- सुभाष राम, पिता-बिन्देश्वरी राम / अशोक राम, पिता-नूनूलाल राम, दोनों सा0-बराही बाजार, पंचायत-मानिकपुर, थाना+जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.10.23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0..से..तक

जिला.., सं0.., सन् १९........................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
17/01/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः–27/2023** **सुभाष राम.........................पुनरीक्षणकर्त्ता** **–बनाम–** **राज्य एवं अन्य.....................रेसपॉण्डेन्ट** **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सुभाष राम, पिता–श्री बिन्देश्वर राम, सा0–बराही बाजार, पंचायत–मानिकपुर, थाना+जिला–मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-223997/2018 में दिनांक 20.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में मधेपुरा अनुमंडल अन्तर्गत मानिकपुर पंचायत के अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु विपक्षी सं0–02 अशोक राम, पिता–नुनुलाल राम, सा0–बराही बाजार, पंचायत– मानिकपुर, थाना+जिला–मधेपुरा के चयन के विरूद्ध दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से दाखिल वाद-पत्र एवं बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि दिनांक 05.08.2017 को मधेपुरा जिलान्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकान की सूची प्रकाशित करते हुए बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में विभिन्न कोटि के रिक्त पदो के विरूद्ध अनुमोदित रोस्टर के अनुरूप संबंधित पंचायत/वार्ड के निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। तदालोक में मधेपुरा अनुमंडलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मानिकपुर पंचायत के कुल 04(चार) रिक्त स्थानों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 01(एक) रिक्त स्थान के लिए पुनरीक्षणकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य 03(तीन) अन्य के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि उनके द्वारा अपना मैट्रिक, इन्टर तथा कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया गया। उनके विहित प्रपत्र आवेदन की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई तथा विहित जाँच प्रपत्र में उनके द्वारा आवेदक को पी0डी0एस0 दुकान दिये जाने हेतु अपनी अनुशंसा की गई जबकि विपक्षी सं0–02 के आवेदन के	

जाँचोपरान्त उक्त आशय की अनुशंसा नहीं की गई। तत्पश्चात प्राप्त आवेदनों का जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसके क्रमांक-11 पर पुनरीक्षणकर्त्ता तथा क्रमांक-16 पर विपक्षी सं0-02 का नाम था। उक्त प्रकाशित सूची में भी अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा विपक्षी सं0-02 अशोक राम के नाम के समक्ष पी0डी0एस0 डीलरशिप हेतु अनुशंसा से संबंधित कॉलम-15 में नहीं अंकित किया गया है। तदोपरान्त दिनांक 01.09.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा औपबंधिक मेधासूची प्रकाशित किया गया तथा उक्त सूची के विरुद्ध दिनांक 06.09.2018 तक दावा/आपत्ति हो तो समर्पित करने के संबंध में सूचित किया गया। उक्त औपबंधिक मेधासूची में विपक्षी सं0-02 को मानिकपुर पंचायत के अनूसचित जाति हेतु आरक्षित पी0डी0एस0 डीलर के रिक्त स्थान पर चयनित दिखाया गया। दिनांक 06.09.2018 को पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा इस संबंध में आपत्ति दायर किया गया कि विपक्षी सं0-02 को उक्त पंचायत में अपना गोदाम नहीं है, किन्तु उनके आपत्ति पर संज्ञान लिये बिना जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 23.09.2018 को अन्तिम मेधासूची प्रकाशित करते हुए विपक्षी सं0-02 अशोक राम का चयन कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि वे तथा विपक्षी सं0-02 दोनों की शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट है लेकिन उन्हें विपक्षी सं0-02 से उच्चतर कम्प्यूटर योग्यता है। उनका कहना है कि जिला चयन समिति के द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम 9(v) का उल्लंघन करते हुए विपक्षी सं0-02 का चयन किया गया है। उक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा सक्षम प्राधिकार को मधेपुरा जिला के मानिकपुर पंचायत के अनुसूचित जाति हेतु पी0डी0एस0 डीलर के पद पर विपक्षी के चयन को रद्द करने तथा पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-02 अशोक राम की ओर से बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत पी0डी0एस00 डीलर के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता, नियम का उल्लंघन तथा भेदभाव नहीं किया गया है। उनके अनुसार जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त चयन हेतु प्रकाशित आम सूचना के अनुच्छेद-02 में उल्लेखित है कि "आवेदन भरने हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। "विपक्षी सं0-02 के द्वारा मैट्रिक तथा इन्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र के साथ कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित अपना प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए आवेदन किया गया। उनका कहना है कि आम सूचना में स्पष्ट वर्णित है कि आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता तथा कम्प्यूटर ज्ञान समान होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। उनका कहना है कि विपक्षी सं0-02 अशोक राम की जन्मतिथि

दिनांक 05.12.1983 है जबकि पुनरीक्षणकर्त्ता की जन्मतिथि उनके मैट्रिक प्रमाण-पत्र के अनुसार 15.02.1985 हैं, इस प्रकार उम्र में विपक्षी सं0-02 अशोक राम पुनरीक्षणकर्त्ता सुभाष राम से बड़े हैं। इस प्रकार जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के उक्त आम सूचना के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा विपक्षी सं0-02 अशोक राम का चयन नियमानुसार किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के आधारहीन पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता तथा विपक्षी संख्या-02 दोनो ही इंटरमीडिएट उर्त्तीण एवं कम्प्यूटर ज्ञान रखते है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता की उम्र चयनित अभ्यर्थी विपक्षी संख्या-02 से कम है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-9(V) में स्पष्ट वर्णित है कि "उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।" उक्त के आलोक में जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा ग्राम पंचायत-मानिकपूर के जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु अनुसुचित जाति की रिक्ति के विरूद्ध अशोक राम का चयन अधिक उम्र का होने के आधार पर किया गया है, जो सही है। अतः जिला चयन समिति के निर्णय को संपुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।